सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण - एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

डॉ. शिवपूजन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य)

पंडित दीन दयाल उपाध्याय

राजकीय महाविद्यालय तिलहर, शाहजहांपुर

सारांश

महिलाएं समाज के विकास के साथ-साथ सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही रणनीतिक भूमिका निभाती हैं। महिला परिवार की योजनाकार है, पहली प्रशिक्षक; श्रम शक्ति के आपूर्तिकर्ता और कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सामाजिक-संस्कृति आदि के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करती हैं। महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। यद्यपि प्रकृति ने प्रजनन की शक्ति विशेष रूप से महिलाओं को दी है, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और गरीबी की घटना केवल महिलाओं पर अधिक है। महिला सशक्तिकरण ही सभी सवालों का समाधान है। उसकी संभावित छिपी हुई शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए समाज में उसकी स्थिति में सुधार करना चाहिए और आर्थिक रूप से उसे मजबूत करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना और गरीबी को हटाना साथ-साथ चलते हैं। नारी यदि शिक्षित और सशक्त है तो उसकी क्षमता का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं, "आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।"

मूल शब्द: महिलाएं, समाज, योजना, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सामाजिक-संस्कृति, महिला सशक्तिकरण

1.0 प्रस्तावना

महिलाएं आधे मानव संसाधन का गठन करती हैं और इस प्रकार देश की आर्थिक संपत्ति और यदि देश के लगभग आधे मानव संसाधन की उपेक्षा की जाती है, तो निश्चित रूप से देश की समग्र प्रगति बाधित होगी। विभिन्न विकास गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कई सकारात्मक उपाय शुरू किए हैं। इन सकारात्मक कार्यों ने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में प्रत्यक्ष परिवर्तन लाए हैं। महिलाओं की साक्षरता दर, जो 1951 में 8.86% थी, 2001 में बढ़कर 54.16% हो गई। महिलाओं की कार्य भागीदारी दर, जो 1981 में 19.7% थी, 2001 में बढ़कर 25.7% हो गई। 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात 1991 में 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया, जो दर्शाता है कि समाज अभी भी एक बालिका का स्वागत नहीं करता है और वरीयता बेटों के साथ है। लगभग 50% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, और 57.9% गर्भवती महिलाएं और 56.2% विवाहित महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं। इस प्रकार, जमीनी स्तर पर महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।

2.0 महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

सशक्तिकरण महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता हासिल करने या कम से कम लिंग अंतर को कम करने में मदद करने के लिए एक सहायता है। सशक्तिकरण के बिना कुछ सामाजिक भूमिकाएँ नहीं निभाई जा सकतीं। आर्थिक विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। वह परिवार की मुख्य शिल्पकार, पहली शिक्षिका हैं; श्रम शक्ति के आपूर्तिकर्ता और कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सामाजिक-संस्कृति आदि के विकास में मुख्य भूमिका निभाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करती हैं। दृश्यमान और अदृश्य रूप में महिलाएं आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। प्रकृति ने विशेष रूप से महिलाओं को प्रजनन की जैविक शक्ति दी है। वह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चमत्कार कर सकती है। फिर भी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। अक्सर महिलाओं को बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, अपहरण, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन गर्भपात, घरेलू हिंसा, तस्करी आदि जैसे मामलों में शिकार किया जाता है। ऐसे कई मामलों के फैसले महिलाओं के खिलाफ जाते हैं क्योंकि उनकी अनुपलब्धता गवाह, मुकदमों का बंद होना, घटनाओं को साबित करने में कठिनाई आदि। इसलिए उसे मजबूत किया जाना चाहिए और उसकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए; उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए ताकि देश आर्थिक विकास के लिए छिपी संभावित शक्ति का उपयोग कर सके।

3.0 महिलाओं के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम

गरीबी उन्मूलन और लैंगिक भेदभाव को कम करने की प्रक्रिया में, सरकारें महिला विकास और सशक्तिकरण की दिशा में तरीके और साधन प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बीच स्वयं सहायता समूहों का आंदोलन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल साबित हुआ है। हालांकि, यह महसूस किया गया है कि अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों की महिला विकास और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में अपनी प्रमुख भूमिका है और जिन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस संबंध में महिला विकास के लिए लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं

- **स्व-शक्ति:** आईएफएडी, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना अक्टूबर, 1999 में शुरू की गई थी और 30 जून, 2005 को समाप्त हुई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को सामने लाना था। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने, सूक्ष्म ऋण और आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से इस परियोजना की परिकल्पना नौ राज्यों के 57 जिलों के 335 ब्लॉकों में कार्यान्वित एक पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। इस परियोजना ने लगभग 2,44,000 महिलाओं को कवर करते हुए 17,647 एसएचजी स्थापित किए। यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना थी।
- **स्वयंसिद्ध**: यह फरवरी, 2001 में शुरू किए गए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना थी। कार्यक्रम का दीर्घकालिक उद्देश्य महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की निरंतर प्रक्रिया से था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण, सामूहिक चिंतन और संयुक्त कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करने में सक्षम रही है। इस योजना का समापन मार्च, 2007 में हुआ। इस कार्यक्रम को देश के 650 ब्लॉकों में लागू किया गया और 67971 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिससे 9,89,485 लाभार्थी लाभान्वित हुए। यह योजना मार्च 2007 में समाप्त हो गई।

- **स्वावलंबन कार्यक्रम:** आर्थिक कार्यक्रम 1982-83 में नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NORAD) की सहायता से शुरू किया गया था। 1996-97 तक नोराड सहायता प्राप्त की गई जिसके बाद भारत सरकार के कोष से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को निरंतर आधार पर रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना है। योजना के तहत लक्षित समूह गरीब और जरूरतमंद महिलाएं, समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि की महिलाएं हैं। अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और योजना की बेहतर निगरानी / मूल्यांकन के लिए, योजना आयोग के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2006 से राज्य सरकारों को इसे स्थानांतरित कर दिया गया है।

4.0 प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन

यह कार्यक्रम पारंपरिक क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को कौशल और नया ज्ञान प्रदान करना चाहता है। इस परियोजना के तहत महिला लाभार्थियों को व्यवहार्य और एकजुट समूहों या सहकारी समितियों में संगठित किया जाता है। क्रेडिट तक पहुंच के अलावा स्वास्थ्य देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा, क्रेच सुविधा, बाजार संपर्क आदि जैसी सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान किया जाता है। महिलाओं के बीच दस पारंपरिक कौशल में कौशल विकास प्रदान किया जाता है। यह 1987 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। मंत्रालय वर्तमान में कार्यक्रम का मूल्यांकन करवा रहा है। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने और क्रेडिट लिंकेज के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के साथ एकीकरण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

5.0 कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को राहत, सुरक्षा और पुनर्वास

5.1 स्वाधार: कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए यह योजना 2001-2002 में शुरू की गई थी। योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली वंचित महिलाओं/लड़कियों को आश्रय, भोजन, वस्त्र और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता प्रदान करना, जो बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं।
- महिलाओं को भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान करना।
- शिक्षा, जागरूकता, कौशल उन्नयन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से निराश्रित महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक रूप से पुनर्वास करना।
- सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अन्य संगठनों के साथ लिंकिंग और नेटवर्किंग करके उन हस्तक्षेपों की आवश्यकता वाली महिलाओं/लड़कियों के लिए विशिष्ट नैदानिक, कानूनी और अन्य सहायता की व्यवस्था करना।
- इस योजना के तहत लाभार्थी अपने परिवारों द्वारा परित्यक्त विधवाएं, जेल से रिहा महिला कैदी, प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं, तस्करी की गई महिलाएं, आतंकवादी/चरमपंथी हिंसा की शिकार महिलाएं, मानसिक रूप से विकलांग और एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाएं आदि हैं।

5.3 किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना-सबला: किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना- सबला, 11-18 वर्ष की किशोरियों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक योजना, जिसे सबला कहा जाता है, 2010 में शुरू की गई थी। सबला योजना देश भर के 205 चयनित जिलों में लागू किया है। सबला ने किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) और किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) की जगह ले ली है। गैर सबला जिलों में केएसवाई पहले की तरह जारी है। सबला योजना के दो

प्रमुख घटक हैं (i) पोषण और (ii) गैर पोषण। सबला के तहत किशोरियों (एजी) को प्रदान की जा रही सेवाओं का एकीकृत पैकेज निम्नानुसार है:

- पोषाहार प्रावधान (वर्ष में 300 दिनों के लिए 5/- प्रति दिन)
- आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट (सालाना 52 टैबलेट)
- स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- परिवार कल्याण, बाल देखभाल प्रथा और गृह प्रबंधन पर परामर्श/मार्गदर्शन।
- जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच
- राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

5.4 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना अक्टूबर, 2010 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी ताकि गर्भवती और नर्सिंग को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर सक्षम वातावरण में योगदान दिया जा सके। इस योजना में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान गर्भवती और स्तनपान कराने वाली (पी एंड एल) महिलाओं को नकद प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करती है। यह योजना अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत कवर की गई है और जिसके तहत 9 जिलों को कार्यान्वयन के पहले चरण के तहत शामिल किया गया है (जहां आधार सक्षम नकद हस्तांतरण होना है)।

6.0 राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन (NMEW)

मंत्रालय ने वर्तमान सरकार के हस्तक्षेपों के समन्वित मूल्यांकन और भविष्य के कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए मार्च, 2010 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन (NMEW) शुरू किया ताकि राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति (NPEW) के नुस्खे को वास्तविकता में किया जा सके। मिशन 2011-12 के दौरान मंत्रालय के भीतर एक राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र (एनआरसीडब्ल्यू) की स्थापना के साथ परिचालित किया गया था। मिशन के तहत संस्थागत तंत्र को अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय इकाई की स्थापना के साथ परिचालित किया गया था। राज्य स्तरीय संस्था में राज्य मिशन प्राधिकरण (एसएमए) और राज्य महिला संसाधन केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू) शामिल हैं, जो एनएमईडब्ल्यू के साथ समन्वय में काम करते हैं। अब तक, 21 राज्यों ने एसआरसीडब्ल्यू की स्थापना की है।

7.0 महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम

7.1 प्रियदर्शिनी: यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और बिहार के 2 जिलों में फैले 13 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और बेहतर आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर परियोजना क्षेत्र में महिलाओं और किशोर लड़कियों के कमजोर समूहों का समग्र सशक्तिकरण (आर्थिक और सामाजिक) करना है। परियोजना के तहत 1, 00,000 से अधिक घरों को कवर किया जाना है और 2011-12 को समाप्त होने वाली परियोजना अवधि के दौरान 7,200 एसएचजी का गठन किया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) संसाधन एनजीओ और फील्ड एनजीओ (एफएनजीओ) की सगाई के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रम एजेंसी है।

7.2 उज्जवला: यह योजना मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर को शुरू की गई थी; 2007and मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के पांच घटक हैं- व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार पीड़ितों की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण और प्रत्यावर्तन योजना के तहत कुछ गतिविधियां हैं:

- सामुदायिक सतर्कता समूहों, किशोर समूहों का गठन, जागरूकता निर्माण और आईईसी सामग्री तैयार करना, कार्यशालाओं का आयोजन आदि।
- शोषण के स्थान से पीड़ितों की सुरक्षित वापसी।
- पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय, बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियां प्रदान करके उनका पुनर्वास।
- पीड़ितों का समाज में पुन: एकीकरण।
- सीमा पार से पीड़ितों को उनके मूल देश में सुरक्षित प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करना।

8.0 निष्कर्ष

महिलाएं समाज और अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका निभाती हैं। भारत में नारी की स्थिति सर्वकालिक भी नहीं है। प्राचीन काल में उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था, मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार, समय पर और आवश्यक अधिनियमों को पारित करके और नियमों और विनियमों को लागू करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। निस्संदेह भारत सरकार के पास महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ने के लिए कई हथियार हैं, इसका त्वरित और सख्त कार्यान्वयन काफी आवश्यक है। जब तक अधिनियमों, नीतियों, नियमों, विनियमों आदि को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, तब तक महिला सशक्तिकरण का विचार अप्राप्त है। इसलिए सरकार के प्रयास अभी भी अपर्याप्त हैं और भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को अभी लंबा सफर तय करना है।

सन्दर्भ सूची

- H. R. Krishnamurthy: “Economic Development of India” (2006) - Sapna Book House, Bangalore
- Kumar, Radha (1993). The History of Doing: An Account of Women's Rights and Feminism in India. Zubaan. p. 128.
- Lipi, Women Empowerment: Globalisation and Opportunities in Empowerment of Rural Women in India (New Delhi, Kanishka Publishers, 2009).
- National Perspective Plan for Women 1988 – 2000 AD, Op.cit, p.13.
- Neera Desai & Usha Thakkar: “Women in Indian Society” (2001) - NBT, New Delhi.
- Neera Desai, ‘Changing Status of Women, Policies and Programmes’ in Amit Kumar Gupta (ed) Women and Society, Development Perspective, Quiterion Publishers, New Delhi. 1986, p.1.

- Report of the Working Group on Empowerment of Women for the XI Plan, Ministry of Women and Child development, Government of India.
- Report of the Working Group on Empowerment of Women for the XI Plan, Ministry of Women and Child development, Government of India.
- School of Social sciences ' Gender and Human Rights
- Towards gender Equality: India's experience. (Eds.) N. Linga Murthy et al New Delhi (2007), Serials Publications.
- Women and Political Empowerment (Ed.) Bidyut Mohanty, New Delhi (2000) Institute of Social Sciences.
- Women in Indian Religions (Ed.) Arvind Sharma, Oxford University Press(2002)